# न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

**पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 575/2019

**प्रार्थी:**— भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र श्री चेनसिंह जाति राजपूत निवासी नेवरा रोड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थी:**— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

**उपस्थित** —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी — सरकारी पैरोकार।

**—::निर्णय::—**

**दिनांक:**— 24/2/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1199 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1200 रकबा 50 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219/2 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1504 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नेवरा व खसरा नम्बर 1536 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, मौजा नेवरारोड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। प्रार्थी का नाम भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह है जो अन्य राजस्व रेकर्ड बाबत् खसरा नम्बर 1537, 1538, 1539 ग्राम नेवरा रोड़ तथा परिवार कार्ड में इसी अनुसार दर्ज है। लेकिन उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम केवल डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह दर्ज होना था। इस प्रकार अलग—अलग भूमि में अलग—अलग नाम दर्ज होने से प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

भंवरसिंह व डूंगरसिंह के नाम से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर काबिज नही है केवल मात्र प्रार्थी का ही नाम भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह है। प्रार्थी किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु अपने नाम में संशोधन नहीं करवाना चाहता है केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूलवश प्रार्थी का नाम भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह दर्ज नहीं होने के कारण ही राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं जो माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नेवरा तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 1199 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1200 रकबा 50 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219/2 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1504 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम नेवरारोड़ के खसरा नम्बर 1536 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम डूंगरसिह पुत्र चेनसिंह दर्ज है इसके स्थान पर नाम भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि भंवरसिंह व डुंगरसिंह एक ही व्यक्ति जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है तथा जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में भंवरसिंह उर्फ डुंगरसिंह पि. चेनसिंह अंकन करने की अनुशंषा की गई।

Scanned by CamScanner

**—::आदेश::—**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1199 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1200 रकबा 50 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219/2 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1504 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम नेवरा व खसरा नम्बर 1536 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा मौजा नेवरा रोड़ तहसील ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम डुंगरसिंह पुत्र चेनसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र चेनसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, ओसियां

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 24/2/202.. को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, ओसियां

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner